


कार्यालय नगर निगम हरिद्वार

सूचना

अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्ताव

नगर निगम, हरिद्वार सीमान्तर्गत अधिसूचना संख्या- 1815/(2)IV(3)/2017-01(14)/2012 दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 के द्वारा अधिसूचित कर नगर निगम में शामिल नये क्षेत्रों में कुम्भ मेला 2021 में दिनांक 01.04.2021 से 31.05.2021 तक 02 माह की अवधि तक के लिए नए क्षेत्र ज्वालापुर बाहर हदूद (खसरा सं० 740), जगजीतपुर बाहर हदूद का सम्पूर्ण ग्राम (खसरा सं० 293 से 677 तक), देवपुर मुस्तहकम का सम्पूर्ण ग्राम (खसरा सं० 01 से 333 तक), मिस्सरपुर आंशिक (खसरा सं० 28), अहमदपुर कडच्छ आंशिक (विष्णु कालोनी) (खसरा सं० 65) में कुम्भ मेला 2021 में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर शेष क्षेत्र में अभिरूचि की अभिव्यक्ति के अन्तर्गत इच्छुक फर्मों से प्रस्ताव अमंत्रित हैं। प्रस्ताव में विज्ञापन की विभिन्न मदों में जैसे :- होर्डिंग, पोल कियोस्क, आई०एच०पी०, वॉल पेंटिंग, गुब्बारे द्वारा विज्ञापन आदि हेतु मदवार प्रतिवर्गफुट प्रतिमाह विज्ञापन शुल्क व पृथक से जी०एस०टी० सहित शामिल होना चाहिए। इच्छुक फर्म नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार के नाम अपने प्रस्ताव दिनांक 31.03.2021 तक दोपहर 01:00 बजे तक सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में जमा कर सकते हैं। शेष जानकारी जैसे स्थलों की सूची, विज्ञापन की विभिन्न मद व नियम एवं शर्तें नगर निगम की आधिकारिक वेबसाइट haridwarnagarnigam.com से प्राप्त की जा सकती हैं।


(जय भारत सिंह)
नगर आयुक्त,

नगर निगम, हरिद्वार।

कार्यालय-नगर निगम, हरिद्वार


पत्रांक : 3718 / विज्ञापन / 2020-21

दिनांक 25.03.2021

प्रतिलिपि :- सम्पादक, समाचार पत्र दैनिक भास्कर, उत्तराखण्ड राज्य संस्कृत को इस आशय से कि उक्त विज्ञापित/विज्ञापन को शासकीय दरों पर कम से कम भाग में प्रकाशित करते हुए समाचार पत्र की 10 प्रतियां बिल सहित उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यालय बोर्ड पर चस्पा हेतु।

1. मा० महापौर महोदय, नगर निगम, हरिद्वार।
2. मेलाधिकारी, कुम्भ मेला 2021, हरिद्वार।
3. जिलाधिकारी, हरिद्वार।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार।
5. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम हरिद्वार।
6. कर एवम् राजस्व अधीक्षक, नगर निगम हरिद्वार।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु।
8. सम्बन्धित पत्रावली।
9. पी०आइ०ओ०, नगर निगम हरिद्वार।


नगर आयुक्त,
नगर निगम, हरिद्वार।

(4) सा.नि.नि.
26-03-2021